



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3604]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 5, 2019/कार्तिक 14, 1941

No. 3604]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 5, 2019/ KARTIKA 14, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2019

(आयकर)

का.आ. 3998(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 120 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा सरकारी राजपत्र में संख्या का. आ. 2752(अ) दिनांक 22 अक्तूबर, 2014 (इसके बाद उक्त अधिसूचना के रूप में संदर्भित) द्वारा प्रकाशित वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करता है, नामतः

1. उक्त अधिसूचना में;

(क) अनुसूची-I में, क्रम संख्या 67 में प्रविष्टियों के सामने;

(i) कॉलम (3) में, "जम्मू, जम्मू एवं कश्मीर", शब्दों के लिए, "जम्मू, जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य-क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य-क्षेत्र" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) कॉलम (4) में, "जम्मू एवं कश्मीर राज्य के सभी जिलों", शब्दों के लिए, "जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य-क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य-क्षेत्र के सभी जिलों" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) अनुसूची-II में कॉलम (4) में क्रम संख्या 8 में प्रविष्टियों के सामने, "जम्मू एवं कश्मीर राज्य" शब्दों के लिए "जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य-क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य-क्षेत्र" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. इस अधिसूचना को 31 अक्तूबर, 2019 से प्रभावी होना माना जाएगा।

[अधिसूचना सं. 88 /2019 फा. सं.187/9/2019-आईटीए-1]

प्रज्ञा पारमिता, निदेशक

व्याख्यात्मक ज्ञापन : यह एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से कोई भी व्यक्ति प्रतिकूलतः प्रभावित नहीं हो रहा है।

नोट : मूल अधिसूचना को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3 उप खण्ड (ii) में का. आ. संख्या 2752(अ) दिनांक 22 अक्टूबर, 2014 द्वारा प्रकाशित किया गया था।